न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर0ए0एस0)

अपील संख्या : /2018 दायरा दिनांक :

उनवान

हरिमोहन आयु 38 साल पुत्र श्री जानकीलाल, जाति मीणा, निवासी कलमण्डा, तहसील बारां, जिला बारां ......अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बारां, जिला बारां

.....रेस्पोडेट

बहस हेतु उपस्थिति :– अभिभाषक अपीलांट – श्री ज्ञान प्रकाश शर्मा

अभिभाषक रेस्पोडेंट – पैरोकार सरकार

निर्णय **दिनांक : 28.06.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम के तहत न्यायालय जिला कलेक्टर बारां के निर्णय दिनांक 25.04.2018 प्रकरण संख्या 44/2017 से अप्रसन्न होकर प्रस्तुत की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि न्यायालय तहसीलदार बारां के प्रकरण सं0 478/2016 द्वारा अपने निर्णय दिनांक 10.03.2016 से अपीलांट को ग्राम कलमण्डा, तहसील बारां की आराजी खसरा नम्बर 185 रकबा 0.50 हेक्टर, किस्म चारागाह भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए 90 दिन के सिविल कारावास की सजा एवं 275/– रूपये शास्ति के दण्ड से दण्डित किया है । इस निर्णय के विरूद्ध अपीलांट की प्रथम अपील विद्वान जिला कलेक्टर, बारां द्वारा अपने निर्णय दिनांक 25.04.2018 से खारिज की गई है । इस निर्णय से अप्रसन्न होकर यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभय पक्षीय सुनी गई ।

अपीलांट ने दौराने बहस यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवायी का अवसर नहीं दिया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का कोई नोटिस नहीं दिया गया है । अपीलांट ने वादग्रस्त आराजी से अपना कब्जा छोड दिया गया है एवं समस्त पैनेल्टी राशि जमा करा दी है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये । आर. बी. जे. 2007 (14) पेज 644 में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार सजा माफ की है । अतः सिविल कारावास की सजा माफ करने की प्रार्थना की ।

पैरोकार सरकार ने कथन किया कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रोपर तामील करवायी गयी थी। अपीलांट ने पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जाये ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया । अपीलांट हरिमोहन आयु 38 साल पुत्र श्री जानकीलाल, जाति मीना, निवासी कलमण्डा, तहसील बारां, जिला बारां ने शपथ पत्र में अंकित किया है कि ग्राम कलमण्डा, तहसील बारां की आराजी खसरा नम्बर 185 रकबा 0.50 हेक्टर आराजी पर मेरा कोई कब्जा काश्त नहीं है उक्त आराजी पर न तो पूर्व में मेरा कब्जा था और न वर्तमान में उक्त आराजी पर मेरा कोई कब्जा है तथा मैं भविष्य में उक्त आराजियात पर कब्जा नहीं करूंगा । अतः कब्जा छोड़ने की शर्त पर सिविल कारावास की सजा को माफ किया जाना उचित प्रतीत होता है । माननीय राजस्व मंडल द्वारा आर. बी. जे. 2007 पेज 644 पर प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसरण में कारावास के दण्ड को माफ किया गया है ।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। यदि अपीलांट ने वादग्रस्त आराजी से कब्जा हटा लिया है तो सिविल कारावास में छूट दी जाती है। लेकिन बेदखली और शास्ति की सजा यथावत रहेगी और यदि अपीलांट द्वारा मौके से कब्जा नहीं हटाया गया है तो सिविल कारावास में दी गई छूट स्वतः ही समाप्त हो जायेगी, उसके लिए कोई पृथक से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

आदेश आज दिनांक 28.06.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा